सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्या: 136 /XVIII(II)/R.T.I./17(01)/2023
देहरादून: दिनांक: 24 अगस्त, 2023

श्री नदीम उद्दीन,
कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग,
अल्लीखां, काशीपुर–244713.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 04.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा अपने उक्त अनुरोध पत्र के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– कार्यालय में धारित अभिलेखों के अनुसार आपके उक्त अनुरोध पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है:–

बिन्दु संख्या (3.1) – सूचना राजस्व अनुभाग–1 से संबंधित है।

बिन्दु संख्या (3.2) – सूचना शासनादेश संख्या–I/124569/2023 दिनांक 24.05.2023 की प्रति एवं संबंधित पत्रावली से नोट पृष्ठ की प्रति संलग्न।

बिन्दु संख्या (3.3) – बिन्दु संख्या (3.3.1) के संबंध में अवगत कराना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–I/124569/2023 दिनांक 24.05.2023 निर्गत किया गया है, जिसकी सूचना बिन्दु संख्या (3.2) के अनुसार है। किन्तु सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये मात्र धार्मिक स्थलों को हटाये जाने के संबंध में पृथक से राजस्व विभाग द्वारा कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। अतः सूचना धारित नहीं है।

अवशेष बिन्दु संख्या (3.3.2), (3.3.3) एवं (3.3.4) की सूचना राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून से संबंधित है।

3– उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या (3.2) एवं बिन्दु संख्या (3.3.1) की धारित सूचना आपको प्रमाणित कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही है। बिन्दु संख्या (3.1) के संबंध में आपके अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी, राजस्व अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन तथा बिन्दु संख्या (3.3.2), (3.3.3) एवं (3.3.4) के संबंध में आपके अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को पृष्ठांकन के माध्यम से अन्तरित किया जा रहा है।

..2.

यदि आप बिन्दु संख्या (3.2) एवं बिन्दु संख्या (3.3.1) की सूचना से असंतुष्ट हों तो राजस्व विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिनका नाम एवं पता निम्नवत् है, के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील योजित कर सकते हैं:–

श्री सुभाष चन्द्र,
अनु सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
कक्ष संख्या–213, द्वितीय तल,
डॉ0 ए0पीजे0 अब्दुल कलाम भवन, सचिवालय, देहरादून।

संलग्नकः यथोक्त।

(नीता बिष्ट)
लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी।

संख्याः– / (1)/XVIII(II)/R.T.I./17(01)/2023 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– लोक सूचना अधिकारी, राजस्व अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को आवेदक का अनुरोध पत्र दिनांक 04.08.2023 अधिनियम की धारा–6(3) के अन्तर्गत इस आशय से अन्तरित कि आवेदक के उक्त अनुरोध पत्र में उल्लिखित **बिन्दु संख्या (3.1)** के संबंध में सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः उक्त बिन्दु के संबंध में सूचना आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– लोक सूचना अधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को आवेदक का अनुरोध पत्र दिनांक 04.08.2023 अधिनियम की धारा–6(3) के अन्तर्गत इस आशय से अन्तरित कि आवेदक के उक्त अनुरोध पत्र में उल्लिखित **बिन्दु संख्या (3.3.2), (3.3.3) एवं (3.3.4)** के संबंध में सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः उक्त बिन्दु के संबंध में सूचना आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीयकृत लोक सूचना कार्यालय, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि भा0पो0आ0 धनराशि रू0 10/– संख्या– 57F 092490 को राजकोष में जमा कराकर रसीद राजस्व अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नीता बिष्ट)
लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी।

प्रेषक,

सचिन कुर्वे,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— **समस्त अपर मुख्य सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

2— **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी)**
उत्तराखण्ड शासन।

3— **आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।**

4— **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**

5— **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।**

राजस्व अनुभाग—2 **देहरादूनः दिनांकः 24 मई, 2023**

विषयः—राज्य के विभिन्न विभागों की भूमि/परिसम्पत्तियों के अतिक्रमण को तत्काल रोके जाने एवं हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश के अन्तर्गत ऐसी राजकीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियां जो स्थानीय (नगर /ग्रामीण) निकायों के प्रबन्धाधीन हैं अथवा राजस्व अभिलेखों में विभिन्न सरकारी विभागों/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगम एवं परिषद आदि के नाम पर अंकित हैं, पर अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जा होने की घटनाएं समय—समय पर संज्ञान में आती हैं। यद्यपि सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों पर होने वाले अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने हेतु Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, भू—राजस्व अधिनियम, नगर निगम/नगर पालिका परिषद अधिनियम, पुलिस अधिनियम, Cr.P.C. आदि विभिन्न विधियों में प्राविधान निहित हैं और सम्बन्धित विभागों/ प्राधिकारियों के द्वारा समय—समय पर विधिक कार्यवाहियां संस्थित भी की जाती हैं, किन्तु इन प्रक्रियाओं के समय—साध्य होने के कारण अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जों की प्रवृत्ति पर पूर्ण अंकुश नहीं लग पा रहा है। इन परिस्थितियों में, समय—समय पर विभिन्न वादकारियों/सामाजिक संगठनों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं (PIL) भी दायर की जाती हैं जिनकी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार/विभागों को यदा—कदा असहज स्थिति का भी सामना करना पड़ता है।

2— उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, सर्वोपरि आवश्यकता यह है कि सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय और इस निमित्त आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए परिसम्पत्ति प्रबन्धन एवं संरक्षण के बेहत्तर उपाय किए जायें। इस दृष्टि से शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त अग्रतर प्रस्तरों में यथा उल्लिखित कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM

(A) राजकीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में आधारभूत डिजिटल परिसम्पत्ति पंजिका तैयार करना तथा सुप्रबन्धन/संरक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित करना :–

राज्य के समस्त सरकारी विभागों/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगमों एवं परिषदों तथा स्थानीय निकायों (नगर/ग्रामीण) आदि के द्वारा निम्नवत् कार्यवाही समयबद्ध तरीके से सम्पादित की जायेगी:–

(1) समस्त सरकारी विभागों/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगम, परिषद एवं स्थानीय निकायों (नगर/ग्रामीण) आदि के द्वारा विभागीय स्तर पर अथवा भूमि/भवन के स्वामित्व सम्बन्धी राजस्व/स्थानीय निकायों के स्तर पर संरक्षित अभिलेखों के आधार पर अपने स्वामित्व/प्रबन्धन में अंकित भूमि/भवन की आधार परिसम्पत्ति पंजिका (Inventory) 01 माह में तैयार/अध्यावधिक कर ली जायेगी।

(2) सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं के प्रमुख द्वारा अपने जनपदस्तरीय अधिकारियों से इस विषयक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि जनपद के अन्तर्गत विभाग/संस्था के स्वामित्व की समस्त परिसम्पत्तियां आधार परिसम्पत्ति पंजिका (Inventory) में सम्मिलित कर ली गयी हैं और कोई परिसम्पत्ति छूटी नहीं है।

(3) उक्तानुसार तैयार परिसम्पत्ति पंजिका (Inventory) के आधार पर मौके की वास्तविक स्थिति का सत्यापन भौतिक स्थलीय निरीक्षण (Ground truthing) के द्वारा अथवा USAC/ITDA की सहायता से मौके की वास्तविक स्थिति का सेटेलाईट/ड्रोन/वीडियो आदि द्वारा चित्र (Image) लेकर कराया जायेगा। इस प्रकार आधार परिसम्पत्ति पंजिका (Inventory) को डिजिटल रूप में तैयार करते हुए उसे ऐतद्विषयक तैयार किए गए पोर्टल (pam.uatswcs.in) ij GIS fencing के साथ डाला जायेगा। प्रत्येक परिसम्पत्ति को पोर्टल पर एक Unique number आबंटित किया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर जहां एक ओर मौके पर पूर्व में हो चुके अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे की वास्तविक स्थिति ज्ञात होगी और तदनुसार अवैध अतिक्रमण/कब्जेदारों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, वहीं दूसरी ओर अपेक्षित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर विचार करने हेतु एक आधारभूत सामग्री के रूप में भी इस सूचना/अभिलेख का प्रयोग किया जा सकेगा

(4) आधारभूत डिजिटल परिसम्पत्ति पंजिका तैयार हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग/संस्था के प्रमुख के द्वारा प्रत्येक परिसम्पत्ति के भविष्य में उचित रखरखाव/संरक्षण हेतु क्षेत्रवार प्रभारी अधिकारी (Territorial Incharge) नामित किए जायेंगे जो उन्हें आबंटित परिसम्पत्ति/परिसम्पत्तियों के सुप्रबन्धन एवं संरक्षण के साथ–साथ उन पर संभावित अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे की संभावना पर अंकुश लगाने हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। प्रभारी अधिकारियों का नामांकन एवं उन्हें दायित्व आबंटन भूखण्डों/परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में Unique number एवं Coordinates आदि विवरण के साथ तथा मार्ग एवं सिंचाई गूल/नहर जैसी Linear परियोजनाओं की दशा में किमी./मीटर चैनेज के अनुसार किया जायेगा।

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM

File No. R-2... 124569/2023 (5)

(5) नामित प्रभारी अधिकारी के द्वारा मासिक आधार पर परिसम्पत्तियों की मौके पर स्थिति का स्थलीय निरीक्षण अथवा USAC/ITDA की सहायता से Satellite/Drone Image/ Video आदि प्राप्त करते हुए सत्यापन कराया जायेगा और इस सत्यापन में प्राप्त होने वाले परिणाम/आंकड़ों को पोर्टल में भी डालकर ऐतद्विषयक ऑफ लाईन/ऑन लाईन डॉटा को सतत् अध्यावधिक किया जायेगा। ऐसे अनुवर्ती सत्यापन में यदि कोई नया अतिक्रमण न पाया जाय तो ऐतद् विषयक प्रमाण पत्र भी प्रभारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर डाला जायेगा, किन्तु यदि अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जा होने/बढ़ने की स्थिति उद्घाटित होती है तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु भी त्वरित प्रभावी/विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत इन अभिलेखीय साक्ष्यों को यथाआवश्यकता अपने पक्ष/समर्थन में प्रयुक्त/प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार, अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण एवं तत्सम्बन्धी Picture/Videos मासिक आधार पर Action Taken Report के रूप में प्रभारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर डाला जायेगा।

(6) विभाग/संस्था के प्रमुख के स्तर पर मासिक आधार पर यह भी मूल्यांकन किया जायेगा कि नामित प्रभारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत परिसम्पत्तियों पर नवीन अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जा तो नहीं हुआ है और यदि नवीन अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जा पाया जाता है तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की भी कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा नियम की जायेगी।

(B) सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन सम्बन्धी समितियां/प्रकोष्ठः

सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति के प्रबन्धन कार्य के प्रभावी पर्यवेक्षण, समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार समितियों/प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगाः–

(क) <u>जनपद स्तरीय सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन समिति</u> :

(1) प्रत्येक जनपद में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 'जनपद स्तरीय परिसम्पत्ति प्रबन्धन समिति' निम्नवत् होगी :–

क.सं.	नाम/पदनाम	
1	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4	मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी	सदस्य सचिव
5	जनपद के समस्त नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी	सदस्य
6	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
7	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग	सदस्य
9	समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM

10	जी.आई.एस. विशेषज्ञ / कन्सलटेंट	सदस्य
11	जनपद के अन्य विभाग जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिकमण / अवैध कब्जे का बिन्दु अन्तर्निहित है, के जनपद स्तरीय अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य

(2) जनपद स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्व :

(i) जनपद स्तरीय समिति जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी / सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का सैटेलाईट इमेजरी अथवा ड्रोन / Video आदि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से वास्तविक स्थिति की नियमित मैपिंग / निगरानी करेगी। समिति यह भी देखेगी कि विभाग / संस्था विशेष के जनपद स्तरीय अधिकारी / नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत कोई नवीन अतिक्रमण / अनधिकृत कब्जा न होने विषयक प्रमाण पत्र मासिक आधार पर पोर्टल पर अपलोड किया गया है अथवा नहीं, यदि नवीन अतिक्रमण पाया गया है तो ऐसे अतिक्रमण / अनधिकृत कब्जे के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा की गयी अथवा नहीं; और यदि कार्यवाही लम्बित हो तो अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायेगी।

(ii) जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति पर अथवा सरकारी परिसम्पत्ति से सम्बन्धित विभाग के प्रभारी अधिकारी / जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से अतिक्रमणकारी व्यक्ति / अनधिकृत कब्जेदार के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई जायेगी। सरकारी परिसम्पत्ति पर अवैध कब्जे / अतिक्रमण के विरूद्ध दर्ज F.I.R. पर पुलिस द्वारा विधिसंगत कार्यवाही अविलम्ब की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से जिला मजिस्ट्रेट / जिला स्तरीय समिति को अवगत कराया जायेगा।

(iii) सरकारी / सार्वजनिक परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण / अनधिकृत कब्जे के विरूद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) में सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा / निगरानी सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा सतत् रूप से की जायेगी तथा जनपद स्तरीय समिति की बैठक में इस पर विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

(iv) जिन अवैध अतिक्रमण / कब्जों को नहीं हटाया जा सका हो उसके सम्बन्ध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर उनके सम्बन्ध में उच्च स्तर पर नीतिगत निर्णय / दिशा–निर्देश अपेक्षित हों तो ऐतद्विषयक संस्तुति राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ / राज्य स्तरीय समिति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

(v) इस कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्येक जिलाधिकारी को रू0 20.00 लाख पूंजीगत मद में दिए जायेंगे जो कि कम्प्यूटर, टोटल स्टेशन एवं ड्रोन इत्यादि उपकरण क्रय करने के लिए प्रयोग किया जायेगा। इस बजट का आवंटन GM, DIC को उद्योग विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM

जायेगा। बजट के प्रयोग के सम्बन्ध में सभी निर्णय लेने हेतु जनपद स्तरीय समिति अधिकृत होगी।

(vi) कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मानव संसाधन यथा GIS Analyst, Surveyor इत्यादि Outsourcing के माध्यम से लिए जायेंगे।

(vii) जनपद स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम 01 बार अवश्य आहूत की जायेगी।

(ख) <u>राज्य स्तरीय सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रकोष्ठ</u> :

(1) 'राज्य स्तरीय सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रकोष्ठ' राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड में आयुक्त एवं सचिव के अधीन एक समर्पित प्रकोष्ठ (Dedicated Cell) के रूप में निम्नानुसार होगी :–

क.सं.	नाम/पदनाम	
1	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्	अध्यक्ष
2	स्टॉफ आफिसर, मा. अध्यक्ष राजस्व परिषद्/परियोजना निदेशक, डी.आई.एल.आर.एम.पी., पी.एम.यू.	सदस्य सचिव
3	उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था)	सदस्य
4	निदेशक, आई.टी.डी.ए. अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (अपर निदेशक स्तर से अन्यून)	विशेष आमंत्री सदस्य
5	निदेशक, यू–सैक, अथवा उनके द्वारा नामित वरिष्ठ जी.आई.एस. वैज्ञानिक	विशेष आमंत्री सदस्य

इस प्रकोष्ठ में विशेषज्ञ/कन्सलटेंट की तैनाती निम्नवत् की जायेगी :–

(1) जी.आई.एस. विशेषज्ञ/कन्सलटेंट – 02
(2) आई.टी. विशेषज्ञ/कन्सलटेंट – 02
(3) कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स – 02

(2) राज्य स्तरीय प्रबन्धन प्रकोष्ठ के कार्य एवं दायित्वः

(i) प्रकोष्ठ द्वारा इस विषय से सम्बन्धित विकसित किए गए पोर्टल का संचालन एवं रख–रखाव किया जायेगा तथा सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने, परिसम्पत्ति पंजिका तैयार करने, मौके की स्थिति के मूलभूत अभिलेख तैयार/चित्रांकन करने, सामयिक आधार पर सत्यापन, मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु सभी विभागों/संस्थाओं के प्रमुख/नामित प्रभारी अधिकारियों को इस पोर्टल पर Access/User ID दिलायी जायेगा। पोर्टल में प्रतिमाह Action Taken Report (चित्रों/ प्रमाणों सहित) डालने, किसी विभाग से अपेक्षित सहयोग/समस्या के

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM

बारे में उल्लेख करने तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा अपना भी मंतव्य अंकित करने की व्यवस्था होगी।

(ii) पोर्टल के संचालन हेतु आवश्यक बजट, समर्पित प्रकोष्ठ का ढ़ाँचा, मानव संसाधन की व्यवस्था, वेतन आदि पर व्यय तथा सम्बन्धित प्रकोष्ठ की गतिविधियों हेतु आवश्यक बजट की मांग का प्रस्ताव तैयार कर शासन स्तर पर राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा और राजस्व विभाग द्वारा अपने विभागीय आय–व्ययक में बजट प्राविधान कराते हुए राजस्व परिषद को यथाप्रक्रिया समय–समय पर आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) यू–सैक उत्तराखण्ड/आई0टी0डी0ए0 द्वारा अतिकमित भूमि/सम्पत्तियों के सर्विलांस/निगरानी हेतु हाई रैजुलेशन सेटेलाईट इमेजरी/ड्रोन इमेजरी आदि प्रकोष्ठ को समय–समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) विभागीय परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण कर उनकी Inventory/Data Bank तैयार करने में प्रकोष्ठ द्वारा समस्त विभागों/संस्थाओं की सहायता (Hand holding) की जायेगी। समस्त विभागों/संस्थाओं के द्वारा तैयार की गयी परिसम्पत्ति पंजिका का ऑफ लाईन/ऑन लाईन डाटा प्रकोष्ठ में भी रखकर इस प्रकोष्ठ के द्वारा State Control Room की भूमिका का निर्वहन किया जायेगा।

(v) प्रकोष्ठ द्वारा USAC/ITDA की सहायता से प्रश्नगत परिसम्पत्तियों की साप्ताहिक आधार पर Satellite/Drone Image प्राप्त कर ऐतद्विषयक आधारभूत/पिछली सूचना से तुलना करते हुए मौके की स्थिति में कोई भिन्नता प्रतीत हो तो तत्सम्बन्धी सूचना (Alert) सम्बन्धित विभाग/संस्था के प्रमुख, नामित नोडल अधिकारी एवं जिला स्तरीय प्रबन्धन समिति को भी अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु संसूचित की जायेगी तथा कृत कार्यवाही (ATR) का भी परीक्षण/मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(vi) प्रकोष्ठ में साप्ताहिक आधार पर परिसम्पत्ति प्रबन्धन सम्बन्धी समीक्षा की जायेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें अवैध कब्जों को नहीं हटाया जा सका हो उसके सम्बन्ध में विशिष्ट कारणों की गहन समीक्षा कर बिन्दुवार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) राज्य स्तरीय सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन समिति:

(1) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन समिति' निम्नवत् होगी :–

क्र.सं.	नाम/पदनाम	
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य सचिव
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह	सदस्य

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM

4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी	सदस्य
10	पुलिस महानिदेशक	सदस्य
11	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्	सह सदस्य सचिव
12	निदेशक, यू–सैक	सदस्य
13	राज्य सरकार के अन्य विभाग जिनके स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जे का बिन्दु अन्तर्निहित है, के अपर/प्रमुख सचिव/सचिव	विशेष आमंत्री सदस्य

(2) राज्य स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्व :

(i) राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगम/परिषद आदि के द्वारा अपने स्वामित्त्वाधीन परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में डिजिटल आधारभूत परिसम्पत्ति पंजिका (Inventory) तैयार करने तथा विभागीय प्रभारी अधिकारियों/राज्य स्तरीय सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रकोष्ठ द्वारा सैटेलाईट इमेजरी अथवा ड्रोन आदि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समय–समय पर की जा रही मैपिंग/निगरानी के कार्य की समीक्षा की जायेगी।

(ii) जनपद स्तरीय सरकारी/सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(iii) जिन प्रकरणों में अंतर्विभागीय समन्वय एवं सहयोग अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्बन्धितों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(iv) अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जों के ऐसे संवेदनशील एवं जटिल प्रकरणों, जिनका निस्तारण करने में कठिनाई हो रही हो अथवा ऐसे प्रकरण जिनके संदर्भ में जिला स्तरीय प्रबन्धन समिति द्वारा मार्गदर्शन हेतु अपेक्षा की गई हो, के सम्बन्ध में विचारोपरान्त सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

(v) अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जों से सम्बन्धित मा. उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के क्रियान्वयन तथा लम्बित वादों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।

(vi) राज्य स्तरीय प्रबन्धन समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य आहूत की जायेगी।

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM

I/124569/2023 3— यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गंभीर है और परिसम्पत्तियों के राज्य हित में बेहत्तर नियोजन एवं फलदायी उपयोग के माध्यम से राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि को संभव बनाने हेतु उक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर एवं पूर्ण निष्ठापूर्वक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

4— प्रकरण महत्वपूर्ण है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

Signed by Sachin
Sharadchandra Kurve
Date: 24-05-2023 14:49:41
(सचिन कुर्वे)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

1— प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3— प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।

4— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Shubhash
Chandra
Date: 24-05-2023 15:17:01
(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by NEETA BISHT, SO-NB-REVENUE 2, SECTION OFFICER, Revenue Department on 24/05/2023 03:20 PM